लखनऊ विकास प्राधिकरण

की

स्टाफ बैठक

दिनांक 25.6.1981

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक जो आयुक्त, लखानऊ मण्डल/ अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में दिनाँक 25 जून, 1981 को पूर्वान्ह 10-00 बजे होगी, में विचारणीय कार्य-सूची

====== :::: 000 :::: ======

क्रम सँख्या	वि ष या	पृष्ठ सँख्या
1	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25-3-81 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25-3-81 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	9
3	विकास प्राधिकरण की वित्तीय एवँ भौतिक प्रगति आख्या ।	12
4	बिल्डिँग बाई-लाज़ उप-समिति द्वारा निर्मित बिल्डिँग बाई-लाज़ की स्वीकृत के सम्बन्ध में ।	29
5	राणा प्रताप मार्ग के सँलग्नक प्लान पर श्री डी0एन0सिँह, तिखा हाउस, फैज़ाबाद रोड के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।	30
6	उमराव टाकीज़ के समीप आवासीय एवँ व्यवसायिक योजना के सम्बन्ध में ।	31
7	लखानऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवँ सचिव के वैयक्तिक सहायक के दो पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	32
8	लखानऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	33
9	लखानऊ विकास प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन	37
10	लखानऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर लखानऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्त वेतन, ग्रेज्युटी एवँ जनरल प्राविडेन्ट फन्ड नियमावली, 1962 लागू करने के सम्बन्ध में ।	38
11	विकास प्राधिकरण के ड्राइवरों तथा क्लीनरों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	39
12	निर्बल सहायक सँस्थान को कानपुर रोड योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	40
13	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषाय ।	

======= ::::: 0000 ::::: =======

एम/आर xxx

विषाय सँख्या: ।

पृष्ठ सँख्या:।

विषाय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25 मार्च, 1981 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

x=x=x=x=x

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25 मार्च, 1981 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त प्रस्तुत है ।

= = = =::: 000 ::: = = = =

एम/आरxxx

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25-3-81 जो आयुक्त लखानऊ मण्डल के कार्यालय में पूर्वान्ह 10-30 बजे हुई, का कार्य-वृत्त ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=

उपस्थिति:
========

1-	श्री पी0सी0सक्सेना	आयुक्त, लखानऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री बी0जे0खोदायजी	आयुक्त, एवँ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवँ पुर्नवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।
3-	श्री डी0बी0श्रीवास्तव	सँयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग, विधान भवन, लखानऊ ।
4-	श्री ए0 के0 रस्तोगी	ज़िलाधिकारी, लखानऊ ।
5-	श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखानऊ ।
6-	श्री टी0पी0वर्मा	अधिशासी अभियन्ता एवँ वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ ।
7-	श्री सुजीत बनर्जी	उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

=x=x=x=x=x=x=

अन्य उपस्थिति :
= = = = = ==

1-	श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी	सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण
2-	श्री के0 पी0 सिँह	वरिष्ठ नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
3-	श्री एस0एन0पी0अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, ल0 वि0 प्रा0
4-	श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव	मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा0
5-	श्री के0 बी0 सक्सेना	कास्ट एकाउन्टेन्ट, ल0वि0प्रा0 ।

=x=x=x=x=x=x=x=

विषाय सँख्या: 1 — लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 18-2-1981 के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: — लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 18-2-1981 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषाय सँख्या: 2 — लखानऊ विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 1981- 82 ।

पारित प्रस्ताव: — वित्तीय वर्ष 1981-82 के बजट पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा बजट पारित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1- बजट वर्ष 1981-82 के लिये प्रस्तावित 4,669 भवनों के अतिरिक्त 600 आवासीय भूखाण्डों के विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाये ।

क्रमश:---- 2

2- जोनल प्लान शीघ्र बनाने की कार्यवाही की जाये ।

3- हरदोई रोड पर भी एक व्यवसायिक केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित किया जाये ।

4- लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन हेतु स्थल चयन के लिये एक समिति गठित की जाये जो स्थल का चयन करके अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत कर दे ।

5- लखनऊ नगर के विकास एवँ सौन्द्रयीकरण के लिये अधिक से अधिक पार्कों का निर्माण एवँ विकास किया जाये जिसमें निम्नलिखित स्थानों का विकास आवश्यक है:-

1- सूरजकुण्ड
2- नीबूँ वाला पार्क
3- जमुनाझील

6- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बेलेन्सशीट वर्ष 1974-75 से ही बनाई जाये क्योकिं मध्य के वर्षों से बनाने में आडिट करना सम्भव नहीं होगा अतएव स्थापना के वर्ष से ही बनाना उपयुक्त होगा ।

7- बजट के लक्ष्यों एवँ उपलब्धियों की मानेटरिँग करने के लिये एक समिति गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष एवँ सचिव उसके सदस्य होगें । यह समिति प्राधिकरण की बैठक से एक दिन पूर्व विस्तृत रुप से समीक्षा करके बैठक को स्थिति से अवगत कराती रहेगी ।

विषय संख्या: 3

नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिँग सोसाइटी को अलीगँज मार्ग एवँ नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उपाध्यक्ष ने नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिँग सोसाइटी को अलीगँज योजना के द्वितीय चरण (सेक्टर-2) में भूमि आवन्टित किये जाने के बारे में प्राधिकरण की गत बैठक के निर्णय से विस्तृत रुप से अवगत कराते हुए शासन के मन्तव्य की विस्तृत रुप से जानकारी दी । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- कपुरथाला बाग़ के अवशेष भूखण्डों की दर नीलाम में आई दरों की अवसत दर रु0 21.33 रखी जाये ।

क्रमश:----3

2- नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यदि कपुरथला बाग़ में ही भूमि चाहती है तो उसे रू0 21.33 की दर भुगतान करना होगा तथा मुआवज़े का पैसा वे स्वयं ले लेगें । पूर्ण भुगतान करने पर क़ब्ज़ा दिया जायेगा ।

3- यदि सोसाइटी सेक्टर-2 में भूखण्ड लेना चाहती है तो योजना की वर्तमान दरों पर भूखण्ड आवन्टित किये जायें ।

4- समिति के समस्त 61 सदस्यों को समिति की कुल अर्जित भूमि का 25% भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ।

विषाय सँख्या: 4

"चेतना सँस्था" को अलीगँज योजना में आवन्टित भूमि की दरों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि "चेतना सँस्था" को अलीगँज योजना के सेक्टर "सी" में 50% मूल्य पर भूमि आवन्टित की गई है परन्तु उनका कथन है कि विकलागों के लिये पूरे प्रदेश में यही एक सँस्था कार्य कर रही है अत: अन्य राज्यों की भातिं यहाँ भी भूमि दिये जाने में विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । आवास सचिव ने सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के मत से अवगत कराया । जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी सँस्थाओं की सहायता के लिये समाज कल्याण विभाग कार्य कर रहा है । शासन यदि सहायता करना चाहता है तो वह सहायता दे सकती है परन्तु प्राधिकरण की आर्थिक क्षति का जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि प्राधिकरण ने मूल्य में 50% छूट पहले से दे रक्खी है । अत: अब और छूट दिया जाना सम्भव नहीं है । सचिव, विकास प्राधिकरण ने बताया कि सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा विकलागों की सहायता हेतु सँस्थाओं को 90% तक भवन बनाने हेतु एवं 2.50 लाख तक सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है एवं यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलाँग वर्ष मनाया जा रहा है अत: ऐसी सँस्थाओं की मदद की जाये तो अच्छा है । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के पूर्व निर्णय में कोई सँशोधन करना प्राधिकरण के हित में नहीं है । अत: पूर्व निर्णय मान्य रहेगा ।

क्रमश:-- 4

विषय संख्या: 5

कृषि उत्पादन एवं मन्डी समिति में नवीन गल्ला मण्डी विस्तार एवं फल तथा सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिबरनपुर एवं पुरनिया में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मास्टर-प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

प्रारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक ने नगर के मध्य स्थापित सब्ज़ी मंडियों से उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि मण्डी परिषाद ऐसा करना चाहती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे जनता को काफ़ी राहत होगी ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्राम अहिबरनपुर तथा ग्राम सभा पुरनिया में क्रमश: 29-71 एकड़ तथा 2.65 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या: 6

कानपुर रोड का सर्वे (सेक्टर "डी") ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में दानत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

प्रारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि वर्ष 1980-81 के लिये निर्धारित कार्यक्रमों तथा उसमें निर्धारित आवास इकाई के कार्यक्रमों के अनुसार विकास करने पर तथा आई0एस0आई0 के माप दण्ड को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये निश्चित की गई है जिसके कारण प्रस्तावित दानत्व 247 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने पुन: बताया कि आई0एस0 आई0 में दुर्बल वर्ग आय वर्गों के रास्ते के लिये प्रस्तावित स्टेन्डर्ड के अनुसार किया गया है जिसकी भी स्वीकृति एल0डी0ए0 द्वारा अपेक्षित है ।

विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" के लिये महायोजना में प्रस्तावित दानत्व में छूट प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

2- प्रस्तावित रास्ते के लिये आई0एस0आई0 में दुर्बल आय वर्गों के लिये प्रस्तावित स्टेन्डर्ड के अनुसार छूट प्रदान करने की भी संस्तुति की जाती है ।

क्रमश:---5

विषय संख्या: 7

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय भवन 104-महात्मागाँधी मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने बताया कि मै इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ क्योकिं इससे स्थिति काफ़ी गम्भीर होती जा रही है । उपाध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्यालय भी उक्त क्षेत्र में खुले हुए हैं । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने बताया कि जो खुले हुए हैं वह ठीक नहीं हैं और ऐसी प्रथा को बढ़ावा देना भी उचित नहीं है । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के वर्तमान भवन -104 महात्मागाँधी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

विषय संख्या:8

शिवाजी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक,लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि शिवाजी मार्ग के दोनों तरफ़ लग-भग दूकानें बन गई हैं परन्तु वहाँ का भू-उपयोग आवासीय है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि मैने इससे पूर्व ही शासन को अपने सुझाव से अवगत करा दिया है तथा उन्होने अपने पत्र को पढ़कर समस्त सदस्यों को अपने विचारों से अवगत कराया ।
वरिष्ठ नगर नियोजक ने शासन के अ0शा0प0स0 2895/37-3/67 एन के वी/78,दिनाँक 18-10-79 का विवरण देते हुए बताया कि उक्त पत्र व्दारा शासन ने निर्देशित किया है कि भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने का निर्णय शासन व्दारा लिया गया है । नियमानुसार महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग बदलने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति में समय लगने की सम्भावना है । अत: शिवाजी मार्ग के दोनों ओर के भवन चित्र प्रस्तावित संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारित किये जायें । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि जिनका एप्रोच सीधे शिवाजी मार्ग पर है उनका उपयोग बदलने में कोई आपत्ति नहीं हैं परन्तु जिनका एप्रोच पीछे या किसी गली व्दारा शिवाजी मार्ग पर है उनको अनुमति देना सम्भव नहीं है ।अत: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शिवाजी मार्ग के दो ओर के भवनों के भू-तल भाग के

क्रमश:---7

अग्रभाग को जो सीधे शिवाजी मार्ग पर ही खुलते हैं उन्हे व्यवसायिक उपयोग में जाने के लिये अनुमति दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अन्य भाग को अनुमति देना सम्भव नहीं है । अत: प्राधिकरण के मत से शासन को अवगत करा दिया जाये तथा कोई भी व्यवसायिक उपयोग का भावन चित्र स्वीकृत न किया जाये ।

विषय संख्या: 9

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाली नूर सहकारी एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है ।

विषय संख्या: 10

रायबरेली रोड पर कामधेनु नगर बनाने हेतु भूमि का अर्जन ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- उक्त योजना का जिसका क्षेत्रफल 235.21 एकड़ जिसमें 92.48 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित है, को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- योजना का नाम "कामधेनु नगर रायबरेली रोड" रखाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या: 11

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना हेतु रू075-00लाख का ऋण शासन से पाने के लिये स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना बनाने के लिये 1037.42 लाख रूपये की योजना जो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई है उसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75-00 लाख रूपये का ऋण शासन से पाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या: 12

लेखा विभाग के पदों के सम्बन्ध में शिड्युल आफ़ न्यु डिमान्ड का विषय ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रियत सेवा के एक लेखाकार का पद प्राधिकरण, प्राधिकरण की सेवा का सृजित करना चाहता है जिसकी सहमति शासन से भी ले ली जाये । क्रमश:-7

विषय संख्या: 13 — सर्व श्री बाबू राम, बाल कृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व सचिव, तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कर्मचारी कोटे से उच्च आय वर्गीय भवन आवन्टन ।

पारित प्रस्ताव: सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ने सूचित किया कि विकास प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन आवंटित करने के बारे में नीति विषयक प्रक्रिया शासन बना रहा है । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवन्टन नियमावली बनाकर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये उसके बाद इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

विषय संख्या: 14 — वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शासन से ऋण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित योजनाओं हेतु शासन से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- 400 ई0डब्लू0एस0 दो मंजिले भवनों के निर्माण हेतु रु0 40.80 लाख का ऋण ।

2- सूरजकुण्ड के विकास हेतु रु0 15.00 लाख

3- जमुनाझील के विकास हेतु रु0 23.00 लाख का ऋण ।

ह0 शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
(शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
= = = = = =

ह0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना
(प्रकाश चन्द्र सक्सेना)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
ल ख न ऊ ।

एम/आर xxx

विषय स0	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 1981-82 ।	आवश्यक निर्देशों के साथ बजट पारित कर दिया गया ।	नोट किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
3-	नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि यदि सोसाइटी कपूरथला बाग में ही भूमि चाहती है तो उसे रु0 21.33 की दर भुगतान करनी होगी । सोसाइटी यदि सेक्टर-2 में भूख0 लेना चाहती है तो योजना की वर्तमान दरों पर भूखण्ड आवन्टित किये जाये 61 सदस्यों को समिति की अर्जित भूमि का 25% भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ।	सोसाइटी को निर्णय से अवगत करा दिया गया है। पत्रोत्तर प्राप्त के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
4-	"चेतना संस्था" को अलीगंज योजना में आवन्टित भूमि की दरों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के पूर्व निर्णय में कोई संशोधन करना प्राधिकरण के हित में नहीं है । अत: पूर्व निर्णय मान्य रहेगा ।	निर्णयानुसार निर्दिष्ट दरों पर प्रस्तावित भूमि की पंजीकरण करा दी गयी है ।
5-	कृषि उत्पादन एवं मण्डी समिति में नवीन गल्ला मण्डी विस्तार एवं फल तथा सब्ज़ी मण्डी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिबरनपुर एवं पुरनिया में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।	वरिष्ठ नगर नियोजक ने नगर के मध्य स्थापित सब्जी मडियों से उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि मण्डी परिषद ऐसा करना चाहती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे जनता को काफ़ी राहत होगी ।	निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को पत्र संख्या: 43/एस0टी0पी0/का0पु0रो0/ल0वि0प्रा0, दिनाँक 15-4-81 भेज दिया गया है ।

क्रमश:---- 10

6-	कानपुर रोड का सर्वे (सेक्टर "डी" के ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि उक्त योजना के सेक्टर "डी" के लिये महायोजना में प्रस्तावित घनत्व में छूट प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है । प्रस्तावित रास्ते के लिये आई०एस०आई०में दुर्बल आय वर्ग के लिये प्रस्तावित स्टेन्डर्ड के अनुसार छूट प्रदान करने की भी संस्तुति की जाती है ।	कानपुर रोड योजना सेक्टर "डी" के लिये महायोजना में प्रस्तावित घनत्व से छूट के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार शासन को पत्र संख्या: 43/एस०टी०पी०/का० रो०/एल०डी०ए० दिनांक 13-4-81 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।
7-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय भवन, 104-महात्मागांधी मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के वर्तमान भवन-104 महात्मागांधी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है ।	प्राधिकरण के निर्णय से आवास-आयुक्त को इस कार्यालय के पत्र संख्या:38 एफ(1)(11)/एसटीपी०/3265 सा०प्र०/81 दिनांक 1-5-81 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।
8-	शिवाजी मार्ग के दोनों तरफ भू-उपयोग परिर्वतन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शिवाजी मार्ग के दोनों ओर के भवनों के भू-तल भाग के अग्रभाग को जो सीधे शिवाजीमार्ग पर ही खुलते हैं उन्हे व्यवसायिक उपयोग में लाने के लिये अनुमति देना सम्भव है । इसके अतिरिक्त अन्य भाग को अनुमति देना सम्भव नहीं है । प्राधिकरण के मत से शासन को अवगत करा दिया जाये तथा कोई भी व्यवसायिक उपयोग का भवनचित्र स्वीकृत न किया जाये ।	शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 15/एचओपी०/भ० दिनांक 16-4-81 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।
9-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाली नूर सहकारी एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है ।	निर्णय से पक्ष तथा शासन को अवगत करा दिया गया है ।

10-	रायबरेली रोड पर काम-धेनुनगर बनाने हेतु भूमि का अर्जन ।	विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1-उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 235-21 एकड़ है जिसमें 92-48 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित है, को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2-योजना का नाम "कामधेनु नगर रायबरेली रोड" रखने की अनुमति प्रदान की जाती है ।	निर्णयानुसार योजना का प्रस्ताव तैयार करके जिला-धिकारी को भेजा जा रहा है ।
11-	लखनऊ विकास प्राधि0 द्वारा लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना हेतु रू0 75-00 लाख का ऋण शासन से पाने के लिये स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना जो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को प्रेषित की गई है उसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75-00 लाख रुपये का ऋण शासन से पाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।	शासन द्वारा प्रदत्त ऋण आहरित हो गया है ।
12-	लेखा विभाग के पदों के सम्बन्ध में शिड्युल आफ न्यु डिमान्ड का विषय ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रियत सेवा के एक लेखाकार का पद प्राधिकरण, प्राधिकरण की सेवा का सृजित करना चाहता है जिसकी सहमति शासन से भी ले ली जाये ।	इस सम्बन्ध में शासन को लिखा दिया गया है ।
13-	सर्वश्री बाबू राम, बाल-कृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व सचिव तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधि0 को कर्मचारी कोटे से उच्च आय वर्गीय भवन आवन्टन ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया आवन्टन नियमावली बनाकर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये उसके बाद इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा ।	इस सम्बन्ध में आवन्टन नियमावली बनाई जा रही है ।
14-	वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शासन से ऋण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्न-लिखित योजना हेतु शासन से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- 1-400 ई0डब्लू0एस0 दो मंजिले भवनों के निर्माण हेतु रू040-80 लाख का ऋण । 2-सूरजकुण्ड के विकास हेतु रू015-00लाख का ऋण । 3-जमुनाझील के विकास हेतु रू0 23-00लाख का ऋण ।	400 ई0डब्लू0एस0 दो मंजिले भवनों हेतु रू0 26-47 लाख प्राप्त हो गया है । 2- सूरजकुण्ड के विकास हेतु एवं अन्य पार्कों के विकास हेतु रू0 30-00 लाख के ऋण शासन से प्राप्त हो गये हैं । 3-जमुनाझील के विकास हेतु रू0 23-00 लाख की माँग के विरुध्द रू0 8,17,300/- ही प्राप्त हुआ है ।

=====::::: 00000 :::::=====

एम/आरxxx

विषाय सँख्या : 3 पृष्ठ सँख्या: 12

वि ष ा य :
=======

लखानऊ विकास प्राधिकरण
की भौतिक एवँ वित्तीय प्रगति
आख्या वर्ष 1981-82 (माह मई तक)

x=x=x=x=x=x=x=x

लखानऊ विकास प्राधिकरण की माह मई, 1981 तक की भौतिक एवँ वित्तीय प्रगति आख्या प्रस्तुत है।

=====::::: 0000 ::::: =======

एम/आरxxx

मासिक आय- व्यय

माह मई 1981 तक आय पक्ष

(लाख रु० में)

मद	पुरानी योजनाओं के लीज़-रेन्ट	भवन/दूकानों का किराया तथा प्रीमियम।	भवनचित्र शुल्क इत्यादि	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	ऋण तथा अनुदान	अन्य आय /खाण्डों की डिपाजिट सहित	प्रारम्भिक अवशेष	योग
बजट अनुमान	5·05	56·25	4·00	339·65	234·03	650	14·35	86·00	1389·33
मासिक लक्ष्य									
वास्तविक आय मई 1981 तक	0·74	2·26	0·53	4·58	6·05	6·94	4·09	219·36	244·55
बजट अनुमान की प्रतिशत	14·65%	4·02 %	13·25%	1·35%	2·58%	1·06%	28·50%	x	1·89% अवशेष निकालने के बाद

व्यय - पक्ष

मद	अधिष्ठान प्रतिकर	भूमि विकास (पुरानी यो०)	भूमि विकास	भवन निर्माण	दूकानों/औद्योगिक केन्द्रों का निर्माण	स्टोर	ऋणों का प्रतिदान	अन्य व्यय	अन्तिम अवशेष	योग
बजट अनुमान	60·00	275	22·50	277·31	275	100	76·50	215·63	81·30	6·09	1389·33
मासिक लक्ष्य	6·17	50	·56	6·47	32·51	0·08	27·34	4·12	13·66	103·14	244·55
वास्तविक व्यय मई 81 तक।											
बजट अनुमान पर प्रतिशत	10·28%	18·18%	2·49%	2·33%	8·46%	0·08%	36·39%	1·91%	16·80%	-	10·22%

एम/आर x x x

आवासीय भवनों की भौतिक प्रगति वर्ष 1980-81 व मई 1981 तक

क्रम सं0	भवनों का प्रकार	वित्तीय वर्ष 1980-81 की उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 1981-82 का लक्ष्य	मई 1981 तक की प्रगति			
				प्लिंथ स्तर	लिन्टर स्तर	छत स्तर	छत पड़ गई
1-	साइट एवं सर्विसेज़	377	1627	363	-	-	-
2-	ई0डब्लू0एस0	1001	1845	257	52	147	257
3-	एल0आई0जी0	241	878	52	-	10	6
4-	एम0आई0जी0	46	269	8	12	10	26
5-	एच0आई0जी0	14	50	-	-	-	-
	कुल योग	1679	4669	680	64	167	289

आवासीय भवनों की प्रगति आख्या माह मई 1981 (अभियन्त्रण खण्ड-1)

क्रम स0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार	लक्ष्य	भवन स0 जिसपर-पूर्ण		प्रगति			
						प्लिंथ लेविल	लिन्टर लेविल	छत स्तर	छत पड़ गई
1-	ऐशबाग़	एल0आई0जी0	12	-	-	-	-	10	2
	कुल योग		12	-	-	-	-	10	2

एम/आर×××

आवासीय भवनों की भौतिक प्रगति आख्या माह मई, 1981

अभियन्त्रण खण्ड-2

=x=x=x=x=x=x=x=x=

क्रम सं0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार	लक्ष्य	भवन सं0 जिसपर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	प्रगति			
					प्लिंथ स्तर	लिन्टर स्तर	छत स्तर	छत पड़ गई
1-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना	साइट एवं सर्विसेज़	119	-	119	-	-	-
		ई0डब्लू0एस0 (एक मंजिलें)	190	108	-	-	17	67
		ई0डब्लू0एस0 (दो मंजिलें)	207	104	-	-	-	103
		एल0आई0जी0 (एक मंजिले)	381	363	+2	-	-	4
		एल0आई0जी0 (दो मंजिले)	-	-	-	-	-	-
		एम0आई0जी0 (एक मंजिले)	-	-	-	-	-	-
		एम0आई0जी0 (दो मंजिले)	12	-	-	-	6	6
		एच0आई0जी0	30	30	-	-	-	-
	कुल योग		939	605	131		23	170

एम/आर xxx

आवासीय भवनों की भौतिक प्रगति आख्या माह मई, 1981

अभियन्त्रण खण्ड- 3

=x=x=x=x=x=x=x=x=

क्रम सं0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार	लक्ष्य	भवन सं0 जिसपर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	पूर्ण	प्रगति			
						प्लिंथ स्तर	लिन्टर स्तर	छत स्तर	छत पड़ गई
1-	कानपुर रोड योजना	ई0डब्लू0एस0	एक मंजिलें 474	474	-	-	-	-	-
		ई0डब्लू0एस0	दो मंजिलें 500	332	-	84	2	50	32
		एच0आई0जी0	20	20	-	-	-	-	-
2-	भीखमपुर योजना	एम0आई0जी0	एक म0 4	-	-	-	-	-	4
3-	स्लम क्लीयरेन्स योजना	ई0डब्लू0एस0	दो मंजिलें 40	28	-	12	-	-	-
	कुल योग		1038	854	-	95	2	50	36

एम/आरxxx

आवासीय भवनों की भौतिक प्रगति आख्या माह मई, 1981

अभियन्त्रण खण्ड- 4

क्रम सं०	योजना का नाम	भवनों का प्रकार	लक्ष्य	भवन सं० जिसपर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	पूर्ण	प्रगति			
						प्लिंथ	लिन्टर	छत	छत पड़ गई
1-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना।	साइट एवं सर्विसेज़	-	-	-	-	-	-	-
		ई०डब्लू०एस०एक म०	3	120	-	57	50	20	55
		ई०डब्लू०एस०दो म०	299						
		एल०आई०जी०एक म०	128	88	-	40	-	-	-
		एल०आई०जी०दो म०	-						
		एम०आई०जी०एक म०	110	166	-	8	12	4	16
		एम०आई०जी०दो म०	96						
		एच०आई० जी०	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग		636	374	-	105	62	24	71

एम/आर x x x

आवासीय भवनों की वर्ष 1981, माह मई तक की प्रगति आख्या

अभियन्त्रण खण्ड- 5

=x=x=x=x=x=x=x=x=

क्रम सं0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार	लक्ष्य	भवन सं0 जिसपर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ।	पूर्ण	प्रगति			
						प्लिंथ	लिन्टर	छत	छत पड़ गई
1-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना ।	साइट एवं सर्विसेज़	244	-	-	244	-	-	-
		ई0डब्लू0एस0 एक म0	16	8	-	8	-	-	-
		ई0डब्लू0एस0 दो म0	156	-	-	96	-	60	-
		एल0आई0जी0 एक म0	229	229	-	-	-	-	-
		एल0आई0जी0 दो म0	128	128	-	-	-	-	-
		एम0आई0जी0 एक म0	52	52	-	-	-	-	-
		एम0आई0जी0 दो म0	-	-	-	-	-	-	-
		एच0आई0जी0	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग		825	417	-	348	-	60	-

एम/आरxxx

आवासीय भवनों की प्रगति आख्या

क्रम सं0	योजना का नाम	भवन का प्रकार	बजट में प्रस्तावित स्वीकृति धनराशि	स्वीकृति धनराशि	माह के अन्त तक व्यय	विवरण
1-	अलीगँज योजना	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 साइट-सर्विसेज़	126·00 लाख	126·00 लाख	19·710	वांछित धन उपलब्ध न होने के कारण व्यय कम हुआ ।
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 साइट-सर्विसेज़	133·00 लाख	133·00 लाख	2·350	
3-	मोतीझील योजना	एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 साइट-सर्विसेज	4·00 लाख	4·00 लाख	-	
4-	मलिन बस्ती योजना	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 साइट-सर्विसेज़	6·00 लाख	6·00 लाख	·124	
	कुल योग		269·00 लाख	269·00 लाख	22·184	

एम/आर×××

वाणिज्य एवं अन्य योजनाओं के भवनों का विवरण
माह मई 1981 (भौतिक)

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष का लक्ष्य	पूर्ण इकाइयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या	प्रारम्भ न हुई इकाइयों की संख्या	टिप्पणी
1-	छितवापुर शापिंग काम्पलेक्स	76	-	-	76	
2-	हज़रतगंज	-	-	-	-	
3-	सिन्डर्स डम्प योजना	44	-	-	44	टेन्डर माँगे जा रहे ।
4-	अलीगंज मार्केटिंग एक्सटेनशन	25	-	25	-	
5-	कियास्क	4	-	-	-	
6-	नक्खास योजना	-	-	-	4	
7-	आर0टी0ओ0	-	-	-	-	
8-	अन्य स्थानों पर दूकानों का निर्माण	-	-	-	-	
9-	सिविक सेन्टर	-	-	-	-	
10-	थोक व फुटकर बाज़ार	-	-	-	-	
11-	केसरबाग़ मण्डी	-	-	-	-	
	कुल योग	149	-	25	124	

एम/आरxxx

वाणिज्य एवं अन्य योजनाओं के भवनों का विवरण माह मई, 1981

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

वि त्ती य

x=x=x=x=x=

क्रम स0	योजना का नाम	बजट में प्रस्तावित धनराशि (लाखों में)	स्वीकृति धनराशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1-	छितवापुर शापिंग काम्पलेक्स	75·00	75·00	·006
2-	हज़रतगंज	1·80	1·50	·026
3-	सिन्डर्स डम्प योजना	5·00	5·00	·016
4-	अलीगंज मार्केटिंग एक्सटेन्शन	9·00	9·00	·048
5-	कियास्क	0·50	0·50	·067
6-	नक्खास योजना	2·50	2·50	
7-	आर0टी0ओ0	1·00	1·00	
8-	अन्य स्थानों पर दूकानों का निर्माण	1·00	1·00	
9-	सिविक सेन्टर	1·50	1·50	
10-	थोक व फुटकर बाज़ार	1·50	1·50	
11-	कैसरबाग़ मण्डी	2·00	2·00	
	कुल योग	100·00	100·00	·163

एम/आरxxx

भूमि विकास की वित्तीय प्रगति विवरण माह मई, 1981

क्रम सं0	योजना का नाम	बजट में प्रस्तावित धनराशि (लाखों में)	स्वीकृति धनराशि (लाखों में)	मास के अन्त तक व्यय	विवरण
1-	अलीगँज योजना	139.50	139.50	5.56 लाख	
2-	कानपुर रोड योजना	95.00	95.00	3.06 लाख	
3-	अन्य योजनायें :- "मोतीझील, गोमती आवास-योजना, नैपियर रोड योजना, हरदोई रोड योजना, ऐशबाग़ इत्यादि सम्मलित हैं।	18.50	18.50		
	योग	253.00	253.00	8.62 लाख	

एम/आरxxx

भूमि अध्याप्ति की भौतिक प्रगति आख्या माह मई 1981

क्रम सं0	योजना का नाम	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़ में)	वित्तीय वर्ष अबतक की उपलब्धि (एकड़ में)	माह में प्राप्त भूमि (एकड़ में)	विवरण
1-	अलीगँज सड़क एवँ नगर प्रसार योजना	923	6·45	-	-
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना :-				
	अ- भाग-1	565·31		-	कब्जा लिया जा रहा है ।
	ब- भाग-2	504·09		-	कब्जे की कार्यवाही प्रगति पर है ।
	स- भाग-3	2044·45		-	अभी विज्ञप्ति नहीं हुई है ।
3-	नेपियर रोड भाग-3	86·00		-	" " " "
4-	शेखापुर कालेा	66·43		-	" " " "
5-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना:-				
	अ- प्रथम चरण	1797·08		-	" " " "
	ब- द्वितीय चरण	-		-	" " " "
6-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	1707·00			" " " "
7-	गोमती आवास योजना	77·36			" " " "
8-	मोतीझील योजना	38·00			" " " "
9-	बिजनौर रोड पर कैटिल कालोनी योजना	229·44			" " " "
10-	प्राधिकरण कार्यालय हेतु	-			" " " "

क्रमशः---

11- अन्य योजनायें :-

(अ)	मीरतकी मीर रोड आवास योजना	1·42	अभी विज्ञप्ति नहीं हुई है।
(ब)	आर०टी०ओ० शापिंग काम्पलेक्स योजना	3·54	" " " " "
(स)	जनपथ मार्केट योजना	26·32	" " " " "
(द)	ए०पी०सेन रोड स्थित भूखण्ड स०:4 पर आवासीय योजना	1·00 एकड़	" " " " "
(य)	ए०पी०सेन रोड स्थित भूखण्ड स०: 14 पर आवासीय योजना	0·68 एकड़	" " " " "
(र)	बटलरगंज आवासीय योजना भूखण्ड स०: 23	1·23 एकड़	" " " " "
(ल)	अलीगंज सब्ज़ी मण्डी योजना	0·86 एकड़	" " " " "
(व)	कान्यकुब्ज कालेज के सामने भूमि पर आवासीय कम कामर्शियल योजना	5·20 एकड़	" " " " "
(श)	बटलरगंज आवासीय योजना भूखण्ड संख्या: 10	1·33 एकड़	" " " " "
(ह)	चिड़ियाबाज़ार शापिंग काम्पलेक्स योजना।	0·62 एकड़	" " " " "

-:-

नोट : योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तुत आख्या संलग्न है।

एम/आर×××

योजनाओं की प्रगति

(अ) शासन स्तर पर विचाराधीन निम्न योजनायें है :-

क्रमांक	योजना का नाम	प्रस्तावित अर्जनीय क्षेत्रफल	
1-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	1650-81	एक्ट
2-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	1707-01	एक्ट
3-	अलीगंज सब्जी मण्डी योजना	1-5-0-0	
4-	बटलरगंज भूखंड संख्या 23 पर आवास योजना	2-15-7-17	
5-	मीर तकी मीर रोड आवास योजना	2-5-7-1	
6-	आर0टी0ओ0 शापिंग काम्पलेक्स योजना	5-13-6-12	
7-	शेखपुर कसैला पुनर्वास योजना	66-43 एकड़	
8-	जनपथ मार्केट योजना	2531 वर्गफुट	
9-	ए0पी0सेन रोड भूखंड संख्या 14 पर आवासीय योजना	1-9-11-0	
10-	ए0पी0 सेन रोड भूखंड संख्या 4 पर आवासीय योजना	2-5-1-13	
11-	गोमती आवास योजना	123-15-12-15	

उपरोक्त योजनाओं के संबंध में सचिव महोदय(आवास) के कक्ष में दिनांक 5-5-81 तथा 27-5-81 को आयोजित बैठकों में विचार-विमर्श हुआ था तथा निर्णय लिया गया तथा सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 व 17 की विज्ञप्ति शीघ्र जारी कराई जा रही है तथा शेष योजनाओं, जिनमें नजूल भूमि सम्मिलित नहीं है(क्रम संख्या 2 से 5 तक) में भी एक माह में ही विज्ञाप्तियाँ जारी कर दी जायेगी।

क्रम संख्या 6 से 11 तक अंकित योजनाओं (जिनमें नजूल सम्मिलित है) की पत्रावलियाँ नजूल अनुभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा उप सचिव नजूल ने आश्वासन दिया है कि इन प्रस्ताओं पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा । इन योजनाओं (प्रस्तावों) में नजूल अनुभाग द्वारा श शीघ्र निर्णय लेने के संबंध में प्रयास किया जा रहा है।

-----2

§ 12-बी §

§ब§ जिलाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन योजनायें :-

क्रमांक	योजनाओं का नाम	अर्जनीय क्षेत्रफल
1-	मोतीझील आवास योजना	61-3-1-12
2-	कान्य कुब्ज कालेज के सामने तिकोनी भूमि पर व्यवसायिक एवं आवासीय योजना	5-13-9-3
3-	नेपियर रोड भाग- 3 योजना	86 एकड़
4-	लखनऊ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग § 3 §	2044·45 एकड़

उपरोक्त योजनाओं में विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की जाँच विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कराई गई तथा प्रस्तावों में कुछ त्रुटियाँ ठीक करने तथा आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु उक्त अधिकारी ने लिखा है जिन्हें ठीक कराकर शीघ्र ही भेजा जा रहा है।

****

भूमि अध्याप्ति की वित्तीय प्रगति

क्रम सं०	योजना का नाम	1981-82 में प्रतिकर हेतु बजट में प्राविधान	वित्तीय वर्ष में वि०भ०अ०अ० को प्रतिकर हेतु दी गई धनराशि	माह मई में प्रतिकर हेतु दी गई धनराशि	अवशेष धनराशि	विवरण
1-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना	120.00 लाख	-	-	120.00 लाख	
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	125.00 लाख	50.00 लाख	-	75.00 लाख	
3-	नैपियर रोड भाग-3	5.00 लाख	-	-	5.00 लाख	
4-	शेखापुर कसैला योजना	-	-	-	-	
5-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	15.00 लाख	-	-	15.00 लाख	
6-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	5.00 लाख	-	-	5.00 लाख	
7-	गोमती आवास योजना	1.00 लाख	-	-	1.00 लाख	
8-	मोतीझील आवास योजना	1.00 लाख	-	-	1.00 लाख	
9-	बिजनौर रोड कैटिल कालोनी योजना	1.00 लाख	-	-	1.00 लाख	
10-	प्राधिकरण कार्यालय केन्द्र	1.00 लाख	-	-	1.00 लाख	
11-	अन्य	1.00 लाख	-	-	1.00 लाख	
	योग :-	275.00 लाख	50.00 लाख			

एम/आर xxx

विषाय:सँख्या: 4 पृष्ठ सँख्या: 29

विषाय: बिल्डँग बाई-लाज़ की
स्वीकृति के सम्बन्धा में ।

x=x=x=x=x=x=x

बिल्डँग बाई-लाज़ स्वीकृति
हेतु अलग से सँलग्न किया जा रहा
है ।

=====:::: ooo :::: =====

एम/आरxxx

विषाय: एक-राणा प्रताप मार्ग में एक भाग पर मिनी सिनेमा थियेटर हाल बनाने हेतु भू-उपयोग परिर्वतन के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x

श्री डी0एन0सिंह, 10 फैजाबाद रोड़ (तिखाहाउस) ने एक आवेदन पत्र उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपरोक्त स्थान पर मिनी सिनेमा थेयेटर (नान अर्निंग) कार्य हेतु प्रस्तावित करने की अनुमति माँगी है । इस क्षेत्र का महायोजना के अनुसार भू-उपयोग " पब्लिक ऐण्ड सेमी यूटीलिटी ऐण्ड कम्युनिटी पैसेलटीज़ " के लिये है । महायोजना में यह उपयोग विभिन्न खण्डों में विभाजित है उक्त के अनुसार खण्ड "एफ़-7 " में यह क्षेत्र पड़ता है और इसमें " सोशल ऐण्ड कलवर इन्स्टीट्युट आफ़ सिटी इम्पारटेन्स " प्रस्तावित किये जा सकते हैं । श्री सिंह ने इस स्थान पर एक सिनेमा-भावन बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो उक्त उपयोग की परिधि के बाहर है अत: इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिर्वतन करना आवश्यक प्रतीत होता है। अत: प्राधिकरण के समक्ष यह बिन्दु अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

x=x=x=x=x=x=x=x

x=x=x=x=x=x

x=x=x=x

x≠x

x

एम/आरxxx

विषय संख्या: 6 पृष्ठ संख्या: 31

विषय: उमराव टाकीज़ के पास की भूमि पर आवासीय योजना बनाने हेतु भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय योजनायें निर्मित की गई हैं । फलस्वरूप शहर का क्षेत्र भी बढ़ा है । शहर के प्रत्येक भाग में जनसामान्य की आवश्यक्तानुसार समस्त वस्तुओं को उसी क्षेत्र में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक्त है कि शहर के प्रमुख-प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना की जाये ।

उपरोक्त दृष्टि से शहर के हज़रतगंज क्षेत्र में अत्याधुनिक जनपथ मार्केट का निर्माण किया गया है तथा स्टेशन रोड पर एक अन्य बहुखण्डी व्यवसायिक केन्द्र छितवापुर मार्केटिंग काम्पलेक्स के नाम से निर्माण प्रस्तावित है ।

उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लखनऊ शहर के ट्रान्स गोमती क्षेत्र में अन्य प्रमुख मार्ग फैज़ाबाद रोड पर तथा महानगर योजना व राम सागर मिश्र नगर जैसी आधुनिक कालोनियों के मध्य एक आधुनिक व्यवसायिक/ आवासीय केन्द्र की उपयोगिता की दृष्टि से उमराव टाकीज़ के निकट उपलब्ध नजूल भूमि पर एक योजना बनाई गई है जिसके मातहतदार महाराजा मोहम्मद अली खाँ साहब बहादुर वल्द राजा मोहम्मद अमीर हसन साहब बहादुर रियासत आलिया महमूदाबाद, जिला सीतापूर है । वर्तमान में इस भूमि पर अव्यवस्थित रूप से झोपड़ी दूकानें गुमटी आदि स्थित है जो कि उक्त क्षेत्र में उपयुक्त नहीं हैं । उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान में आवासीय योजना ~~नहीं है~~ के उपयोग हेतु दर्शाया गया है ।

उक्त क्षेत्र का सच्छिंप्त विवरण निम्न है :-

1- प्रस्तावित अर्जनीय क्षेत्रफल	बीघा	2-4-19-7
2- चौहद्दी	उत्तर:	ग्राम महानगर, रहीम नगर का खसरा संख्या:749 (पक्का रास्ता)
	दक्षिण:	पक्की फैजाबाद रोड
	पूर्व:	महानगर रहीम नगर का खसरा संख्या: 752 (भाग)
	पश्चिम:	महानगर रहीम नगर का खसरा संख्या: 293 (पक्का रास्ता)

उपरोक्त परिस्थितियों में निम्न बिन्दु विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं:-

1- योजना का नाम रखने पर विचार ।

2- प्रस्तावित अर्जनीय भूमि को अर्जन करने की अनुमति ।

==xx:: 0 0 0 0 0::xx==

एम/आरxxx

विषाय सँख्या: 7 पृष्ठ सँख्या: 32

विषाय: लखानऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवँ सचिव के वैयक्तिक सहायक के दो पदों का सृजन ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=

लखानऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का पद वेतनमान रू0 425-900 में सृजित किया जा चुका है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नगर महापालिका के मुख्य अभियन्ता, उप- प्रशासक एवँ प्रशासक के वैयक्तिक सहायकों के पद भी रू0 320-620 के वेतनमान में शासन व्दारा बहुत पहले से स्वीकृत किये जा चुके हैं । प्राधिकरण के सचिव का पद उप-प्रशासक के पद से कहीं उच्च स्तर एवँ दायित्वपूर्ण है क्योंकि प्राधिकरण के सम्पूर्ण कार्य-कलाप प्रशासनिक, अभियन्त्रण एवँ नियोजन- उक्त पद के माध्यम से ही कार्यान्वित होते हैं । जन-सम्पर्क अधिक है । पत्राचार काफ़ी करना पड़ता है। इतना ही नहीं वरन प्राधिकरण की बैठक के अतिरिक्त, नगर के हित में महत्वपूर्ण बैठकें भी प्राय: होती रहती हैं जिनकी कार्य-सूची, कार्यवाही एवँ बैठकों का आयोजन आदि सचिव को ही करना होता है जिसमें आवश्यक सामग्री के सँकलन एवँ आयोजनों में श्रमसाध्य कार्यों के विधिवत सम्पादन हेतु वैयक्तिक सहायक के पद की नितान्त आवश्यकता है । अतएव प्राधिकरण व्दारा सचिव के स्टेनों के पद को वैयक्तिक सहायक के पदनाम रू0 320-620 वेतनमान में परिवर्तित (सृजित) करने हेतु प्राधिकरण से अनुशँसा की जाती है ।

2- वाराणसी और कानपुर विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार उपाध्यक्ष से सम्बध्द वैयक्ति सहायक का वेतनमान रू0 320-620 का है । महापालिका में भी वैयक्तिक सहायक के पद इसी वेतनमान में स्वीकृत हैं । अत: वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित होगा कि प्रशासक के वैयक्तिक सहायक के समान ही उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का पद सृजित कर दिया जाये ताकि इस पद पर नियुक्ति उपाध्यक्ष के आदेशानुसार की जा सके ।

महापालिका में उप-प्रशासक के लिये भी वैयक्तिक सहायक के पद का सृजन है और सचिव विकास प्राधिकरण के पास भी उतना ही अधिक और महत्वपूर्ण कार्य है जितना उप-प्रशासक, नगर महापालिका के पास है तथा काफ़ी दिनों तक एक ही स्तर के अधिकारी इस कार्य-भार को सम्हालते रहते हैं । अत: सचिव विकास प्राधिकरण की सहायता के लिये भी एक वैयक्तिक सहायक का पद रू0 320-15-470 द0रो0-20-570-द0रो0-25-620 के वेतनमान में सृजित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । इस प्रकार विकास प्राधिकरण में वैयक्तिक-सहायक के दो पदों रू0 320-15-470-द0रो0-20-570-द0रो0-25-620 के वेतनमान में सृजित किये जाने की अनुशँसा की जाती है ।

======:::: 0000 :::: =======

एम/आरxxx

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के विषय में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ द्वारा यह मांग की है कि जिस प्रकार कानपुर विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती है उसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी शिक्षा सुविधा प्रदान की जाए। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण की शिक्षा सुविधा नियमावली की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

कानपुर विकास प्राधिकरण में शिक्षा सुविधा सरकारी गजट 19अगस्त 1961 के अनुसार दी जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण की भांति शिक्षा सुविधा प्रदान करने की मांग की जा रही है। अतः सरकारी गजट 19अगस्त, 1961 के अनुसार प्राधिकरण कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान किये जाने की अनुसंशा की जाती है। नियमावली प्रारूप अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

---::0::---

उत्तर प्रदेश गजट, 19अगस्त, 1961 ई0 (श्रावण 28, 1883 शक संवत)

10अगस्त, 1961 ई0

सं0 3613/2-40-बी-ए-निम्नलिखित विनियम, जो कानपुर नगर महापालिका की कार्यकारिणी ने यू0पी0 नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 548 (1) (फ) के अन्तर्गत नगरमहापालिका, कानपुर के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान करने के हेतु बनाये है और जिनकी पुष्टि नगर महापालिका ने की है, उक्त एक्ट ही धारा 448 (3) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जाते है :-

कानपुर नगर महापालिका कर्मचारियों के (शिक्षा सुविधा) विनियम 1960

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ :-

1- (1) यह विनियम कानपुर नगर महापालिका कर्मचारियों के (शिक्षा सुविधा) विनियम, 1960 कहलायेगें।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगें। प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन विनियमों में :-

परिभाषायें :-

2- (क) "शिक्षा सुविधा" से तात्पर्य है निःशुल्क अथवा छात्र वृत्ति अथवा अन्य कोई छूट अथवा सुविधा, जो कानपुर नगर महापालिका के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को किसी जूनियर हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक पाठशालों में माध्यमिक कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्थ करें।

(ख) परिवार से तात्पर्य है :-

1-किसी पुरुष महापालिका कर्मचारी के प्रकरण में महापालिका कर्मचारी की धर्मपत्नी तथा वैध बच्चे और कर्मचारी के किसी मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे, जो उसके साथ रहते और उस पर पूर्णतया आश्रित हो।

(2) किसी स्त्री महापालिका कर्मचारी के प्रकरण में महापालिका कर्मचारी का पति और वैध बच्चे तथा किसी मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे, को उनके साथ रहते और उस पर पूर्णतया आश्रित हों।

(ग) महापालिका, कार्यकारणी समिति या मुख्य नगराधिकारी से तात्पर्य है कानपुर नगर महापालिका तथा कानपुर नगर महापालिका की कार्यकारणी समिति और मुख्य नगराधिकारी।

(घ) "महापालिका कर्मचारी" से तात्पर्य है किसी पुरुष अथवा स्त्री व्यक्ति से, जो तत्समय महापालिका की सेवा में हो और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1950 की धारा 106 के अन्तर्गत महापालिका द्वारा सृजित किसी पद पर आसीन हो अथवा अधिनियम की धारा 577 (ड) के अन्तर्गत जारी रक्खे गये किसी पद पर नियुक्त हो।

--2

किसको प्रयोज्य :-

3- ये विनियम दैनिक वेतन पर रक्खे गये है ठेके पर या आकस्मिकता व्यय से भुगतान किये जाने वाले अथवा सरकार द्वारा महापालिका को उधार दिये गये कर्मचारियों को छोड़कर महापालिका के अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो स्थायी रुप से ऐसे पदों पर आसीन हो जिनका प्रारम्भिक वेतन 500 रुपया प्रतिमास से कम हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होगसकने वाली शिक्षा सुविधाएं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी द्वारा महापालिका के किसी मृत कर्मचारी, को अन्यथा इन सुविधाओं के अधिकारी होते, के परिवार के सदस्यों को भी ऐसे समय के लिए, जो कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक न हो, दी जा सकेगी, यदि वे माध्यमिक कक्षातक पढ़ाई चालू रक्खे।

प्रतिबन्ध यह भी है कि असामयिक मृत्यु अर्थात् सेवा-निवृत्त से पूर्व मृत हो जाने वालों अथवा कर्तव्य रतता (ड्यिूटी) की अवस्था में दुर्घटनावश मृत हो जाने वाला कानपुर नगर महापालिका अथवा कानपुर विकास ~~प्राधिकरण~~ (डेवलपमेन्ट) बोर्ड का कोई कर्मचारी समझा जायेगा ।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार -क्षेत्र -

4- (1) महापालिका कर्मचारी के परिवार के प्रत्येक सदस्य जिनकी संख्या उन कर्मचारियों के सदंर्भ में जो ऐसे पदों पर आसीन हो, जिनका न्यूनतम् वेतन 200 रुपया प्रतिमाह से कम न हो, प्रति कर्मचारी दो से अधिक न हो तथा अन्य कर्मचारियों के सदंर्भ में जो प्रति कर्मचारी एक समय में चार से अधिक न हो यदि उन्हें एजूकेशन कोड आदि के अन्तर्गत अन्य प्रकार ऐसी छूट उपलब्ध न हो, तो किसी महापालिका संस्था में इन्टरमीडिएट कक्षा तक पूर्ण शुल्क के बराबर तक की विशेष छूट दी जायेगी अथवा मुख्य नगराधिकारी के स्वविवेक से, यदि वह सन्तुष्ट हो तो, कर्मचारी के निवास-स्थान के निकट कोई महापालिका संस्था नही है या महापालिका संस्था में जगह की कमी के कारण प्रवेश सम्भव हुआ नहीं। तो शिक्षण शुल्क के बराबर छात्रवृत्ति दी जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी वार्षिक परीक्षा में बुरी तरह असफल हो जाता है तो सुविधा उसी कक्षा के लिए, यदि नगराधिकारी उचित समझें, तो अनुवर्ती वर्ष में दी जायेगी, परन्तु किसी भी दशा में उसी कक्षा के लिए दो वर्ष से अधिक के लिए न दी जायेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी ऐसी दशा में जहां या तो महापालिका कर्मचारी असामयिक मृत्यु हो गया हो अथवा सम्बन्धित सदस्य अपने निज के दीप्तमान शैक्षिक जीवन के कारण सहायता का पात्र हो, प्रतिवर्ष निम्नकिंत सुविधा- जो प्रतिवर्ष स्वीकृति की जायेगी ऐसे समय तक जिसे वह उचित समझें जो किसी भी दशा में दस वर्ष से अधिक न हो, दे सकते हैं :-

(क) —3

(क) 75 रुपया प्रतिमास से अधिक तथा 200 रुपया प्रतिमास से न्यूनतम् वेतन के पदों पर आसीन महापालिका कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की 10 रुपया प्रतिमाह।

(ख) 75 रुपया तक के न्यूनतम् वेतन पाने वाले पद पर आसीन महापालिका कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की 15रुपया प्रतिमाह।

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत साधारण तथा अतिरिक्त सुविधा इन्टरमीडिएट कक्षा के परे शिक्षा जारी करने के लिए न दी जायेगी। असाधारण परिस्थितियों में कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के मुख्य नगराधिकारी विशेष छात्रवृत्ति की प्रतिवर्ष दस से अधिक तथा 25 रु0 प्रति मास छात्रवृत्ति से अधिक न हो, महापालिका कर्मचारी के परिवार के ऐसे सदस्यों को, जो अपने दीप्तिमान शैक्षिक जीवन के आधार पर वास्तव में इस सुविधा के उपयुक्त हो, दे सकते हैं।

शिक्षा सुविधा प्राप्त करने की रीति:-

5- 1- महापालिका का प्रत्येक कर्मचारी अथवा सुविधा चाहने वाला परिवार के सदस्य या यदि कर्मचारी मृत हो गया हो, तो उसके अभिभावक जो सुविधा प्राप्त करना चाहते हो, मुख्य नगराधिकारी की सेवा में उनके द्वारा समय-समय पर मांगे गये विवरण के साथ प्रार्थना पत्र भेजेंगे।

2- यदि सुविधा उपरोक्त विनियम 4 (1) के सम्बन्ध में हो तो जैसा वह उचित समझें वैसी समीक्षा के बाद मुख्य नगराधिकारी उसे स्वंय स्वीकृत कर देंगे और अन्य दशाओं में अपने अनुमोदन (रिकमेन्डेशन) के साथ जैसा भी आवश्यक हो, कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करेंगे। जैसा भी प्रकरण हो, कार्यकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

6- इन विनियमों के अन्तर्गत दिया गया महापालिका कर्मचारियों की शिक्षा सुविधा सम्बन्धी व्यय महापालिका बजट के व्यय की मद 9 (15) में डाला जायेगा।

वीरेन्द्र कुमार,
आई0सी0 अधिकारी,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, कानपुर।

विषाय सँख्या: 9 पृष्ठ सँख्या : 37

विषय: प्राधिकरण के विभिन्न विभागों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चपरासियों) के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण में वर्तमान में कुल 80 स्वीकृत पदों के विरूध्द 97 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं । प्राधिकरण के गठन के पूर्व 55 पद स्वीकृत थे किन्तु गठनोपरान्त समय समय पर आवश्यक्तानुसार 25 पदों का सृजन और किया गया जिससे सृजित पदों की सँख्या अब 55 प्लस 25 = 80 है । किन्तु इन 80 पदों के विरूध्द 97 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत होने के कारण 17 कर्मचारियों का वेतन आहरण बिना किसी पद के विरूध्द हो रहा है ।

अतएव उपरोक्त स्थिति में जो 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बिना किसी पद के विरूध्द कार्यरत हैं नियमानुसार उनके पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है ताकि इनकी सेवाओं को नियमित किया जा सके । पदों की आवश्यक्ता है ।

प्राधिकरण के विचारार्थ एवँ स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

x=x=x=x=x=x=x=x

एम/आरxxx

विषय संख्या: —— 10 पृष्ठ संख्या: 38

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्त वेतन ग्रेच्युटी एंव जनरल प्राविडेन्ट फन्ड नियमावली, 1962 लागू करने के सम्बन्ध में :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के तहत हो चुकी है। स्थापना से पूर्व विकास कर्मचारियों पर उपरोक्त पेन्शन नियमावली लागू थी तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त होती थी। अधिनियमों के प्रतिबन्धों के अनुसार जब तक प्राधिकरण के कर्मचारियों हेतु सेवा शर्तें इत्यादि नियम नहीं बन जाते जब तक नगर महापालिका में लागू नियम के अन्तर्गत कार्यवाही होती रहेगी। इन्हीं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्राधिकरण ने मद संख्या 23 के अन्तर्गत लखनऊ नगर महापालिका में प्रचलित नगर महापालिका सेवा निवृत्त वेतन ग्रेच्युटी एंव जनरल प्राविडेन्ट फन्ड नियमावली 1962 लागू करने का निर्णय लिया था। परन्तु प्रतिबन्ध यह था कि परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के अन्तिम निर्णय तक सेवा निवृत्त कर्मचारियों को 75 प्रतिशत पेन्शन तथा 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए परिणाम स्वरुप सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाता रहा, परीक्षक स्थानीय निधि लेखा का कार्यालय इलाहाबाद में हो जिसके कारण पेन्शन के मामलों में निर्णय लेना कठिन हो रहा है। कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, इस परेशानी को हल करने के लिए वित्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन से यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण में परीक्षक स्थानीय निधि लेखा की ओर से सहायक परीक्षक पदस्थ है अतः परीक्षक महोदय उनको पेन्शन में निर्णय लेन हेतु अधिकृत कर दें।

प्राधिकरण कर्मचारीसंघ ने यह मांग की जब तक पेन्शन के मामले निर्णित न हो जाए अन्तरिम रुप से दी जाने वाली पेन्शन की सीमा 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी को क्रमशः 95 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत कर दिया जाये। यह मांग उचित ही प्रतीत होती हैं।

अतः प्राधिकरण से अनुशंसा की जाती है कि प्राधिकरण कृपया प्रश्नगत सीमा को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दें। यह संशोधन सेवा निवृत्त की तिथि से लागू समझा जायेगा, तथा प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय में उक्त सीमा तक संशोधन समझा जायेगा, शासकीय स्तर पर मामले को परसू किया जा रहा है तथा शीघ्र ही पेन्शन के मामले निर्णत कराने की कार्यवाही की जाएगी।

—: : 0 : : —

विषय स0: 11 लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या

xxxxxxx

विषय:- प्राधिकरण में ड्राईवरों एवं क्लीनियरों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

संक्षिप्त विवरण,

वर्तमान समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण में वाहनों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	वाहन	संख्या
1-	स्टाफ कार	4
2-	जीप	5
3-	ट्रक	5
4-	टैंकर	1
5-	ट्रेकर	1
6-	बुलडोजन	1
7-	रोड़ रोलर	1
8-	ऐक्ट फाल्ट मिक्सर	1
9-	सी0सी0 मिक्सर	1
10-	ट्रैक्टर	1
	कुल संख्या	21
11-	एक आटो रिक्शा क्रय किया जाना है।	1
		22

इस प्रकार उपरोक्त ब्योरे के अनुसार वाहनों की कुल संख्या 22 होती है।अभी तक ड्राईवरों के कुल 8 पद स्वीकृत हैं।क्लीनियर का कोई पद स्वीकृत नहीं है।ऐसी स्थिति में दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज के कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है।अधिशासी अभियन्ता मेन्टीनेन्स ने 8 क्लीनियर्स तथा 14 ड्राईवरों के पदों के सृजन की संस्तुति की है।क्योंकि इनकी सेवाओं की आवश्यकता है।दैनिक वेतन भोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों को से निरन्तर कार्य चलाते रहना उचित नहींहै।इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाये तीन साल तक हो जाने पर शासनादेश के अनुसार उनको नियमित किया जाना आवश्यक होगा।अत: प्राधिकरण के कार्यहित में 14 ड्राईवर 8 क्लीनियर्स के अस्थाई पदों को निर्धारित वेतनमान में सृजन की अनुशंसा की जाती है।

स्वीकृतार्थ-

सचिव ।

विषाय सँख्या: 12 पृष्ठ सँख्या: 40

विषाय: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत निर्बल सँस्थान को "सेन्ट्रल हास्पिटल" के निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

अध्यक्ष निर्बल सँस्थान व्दारा कानपुर रोड स्कीम में एक एकड़ भूमि "सेन्ट्रल हास्पिटल" के निर्माण हेतु माँग की गई है । यह सँस्था एक वेरेटेबुल सँस्था है जो कि जनता के हितार्थ उक्त अस्पताल का निर्माण करना चाहती है । लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25 जूलाई, 1975 के प्रस्ताव सँख्या: 7 व्दारा निजी शैक्षिक सँस्थानों तथा नि:शुल्क चिकित्सालयों आदि दानात्व सँस्थानों के माँग किये जाने पर भूमि बाज़ार की दरों में 50% की सीमा तक छूट देने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार यह सँस्था एक दानोत्तर सँस्था के नियमों के अन्तर्गत आती है । कानपुर-रोड स्कीम में अस्पताल के लिये भूमि सुरक्षित है जो इस सँस्था को दी जा सकती है । जहाँ तक 50% तक छूट देने का मामला है, यह विषाय विकास प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

x=x:: 0 0 0 0 ::x=x

एम/आरxxx

दिनाँक 25 जूलाई 1975 को अपरान्ह 3-00 बजे प्राधिकरण कार्यालय, 6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग में स्थित नवीन कमेटीहाल में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अँश ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

मद सँख्या: 7
==========

10- निजी शैक्षिक सँस्थान, निजी नि:शुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण सँस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के साथ विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी शैक्षिक चिकित्सक एवँ समाज कल्याण सम्बन्धी सँस्थाओं तथा साँस्कृतिक एवँ दानोत्तर सँस्थाओं को भूमि माँगे जाने पर भूमि की बाज़ार दरों में 50% की सीमा तक छूट दी जाये । ऐसी सँस्थाओं को भूमि का आवन्टन प्राधिकरण स्वयँ करेगें ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81
= ==
जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल के कार्यालय में पूर्वान्ह 10-00
= ==
बजे हुई का कार्य-वृत्त ।
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

======::::000:::: ======

<u>उपस्थित</u>:

1-	श्री पी०सी०सक्सेना	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
2-	श्री बी०जे०खोदायजी	सचिव, आवास एवं पुर्नवास विभाग, उत्तर प्रदेश-शासन, लखनऊ ।
3-	श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन लखनऊ ।
4-	श्री ए०के०रस्तोगी	जिलाधिकारी, लखनऊ
5-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6-	श्री योगेशनाथ चतुर्वेदी	अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ ।
7-	श्री सुजीत बनर्जी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

=x=x=x=x=x=x=x=

<u>अन्य उपस्थित</u>:

1-	श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री ए०एन०सिंह	अतिरिक्त सचिव, लखनऊ-विकास प्राधिकरण ।
3-	श्री के०पी०सिंह	वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=x=x=x=x=x=x=x=

<u>विषय संख्या: 1</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-81 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-1981 के मद संख्या:8 में संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

<u>विषय संख्या: 2</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-81 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमशः -2

विषय संख्या: 3 — विकास प्राधिकरण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति आख्या ।

पारित प्रस्ताव: — प्राधिकरण के भौतिक कार्यों की समीक्षा की गयी । उपाध्यक्ष ने बताया कि सीमेन्ट के न मिलने के कारण निर्माण कार्यों में काफ़ी गतिरोध हो गया है । फिरभी स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि अध्याप्ति के बारे में बहुत से मामले शासन स्तर पर लम्बित हैं । अत: यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के दूरगामी हितों को देखते हुए अध्याप्ति कार्य में शीघ्रता हेतु आवास सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाये । प्राधिकरण ने यह भी आँकाँक्षा व्यक्त की कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग में टेकनिकल अधिकारी न रखाकर प्रान्तीय सेवा का एक अधिकारी रक्खा जाये ताकि टेकनिकल - अधिकारी की सेवा का अन्यत्र उपयोग हो ।

विषय संख्या:4 — बिल्डिंग बाई-लाज़ उप-समिति द्वारा निर्मित बिल्डिंग बाई-लाज़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — प्रस्तुत बाई-लाज़ पर विस्तृत रूप से विवेचना की गई तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर-प्रदेश के सुझावानुसार बाई-लाज़ संशोधित किया गया तथा बाई-लाज़ के संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:5 — महाराणा प्रताप मार्ग के एक भाग पर मिनी-सिनेमा थियेटर हाल बनाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह स्थल शिक्षण संस्थाओं के मध्य पड़ता है अतएव इस स्थान पर सिनेमा बनाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है । भू-उपयोग परिवर्तन सम्भव है ।

विषय संख्या:6 — उमराव टाकीज़ के समीप आवासीय एवं व्यवसायिक योजना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भू-अभिलेखों से यह पुष्टि कर ली जाये कि यह भूमि अर्बन सीलिंग अधि-नियम में रिक्त तो घोषित नहीं की गई है ।

क्रमश:-----3

विषय संख्या: 7 — लखानऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव के वैयक्तिक सहायक के दो पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — प्राधिकरण ने पूर्ण आख्या देने के लिये निर्देशित करते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी बैठक में प्रस्तावित पदों के औचित्य, चयन श्रोत, शैक्षिक अर्हताए तथा अन्य सम्बन्धित विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाये तथा इन पदों के सम्बन्ध में कानपुर विकास-प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर ली जाये ।

विषय संख्या: 8 — लखानऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कानपुर-विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शिक्षा सुविधा के बारे में पता लगाकर स्पष्ट आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 9 — प्राधिकरण के विभिन्न विभागों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चपरासियों) के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि यह विषय प्राधिकरण की आगामी बैठक में विस्तृत विवरण के साथ रक्खा जाये ।

विषय संख्या: 10 — लखानऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर लखानऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवानिवृत्त वेतन ग्रेज्युटी एवं जनरल प्राविडेन्ट फन्ड नियमावली, 1962 लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तरिम पेन्शन की तरह अन्तरित ग्रेज्युटी भी 75 प्रतिशत सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाये ।

विषय संख्या: 11 — प्राधिकरण के ड्राइवरों तथा क्लीनरों के पदों का सृजन ।

पारित प्रस्ताव: — विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में ड्राइवरों के 8 और पद् सृजित कर दिये जायें ।

विषय संख्या: 12 — कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत निर्बल संस्थान को "सेन्ट्रल हास्पिटल" के निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके प्राधिकरण की आगामी बैठक में विस्तृत रूप से आख्या प्रस्तुत की जाये ।

क्रमश:---4

अन्य प्रस्ताव संख्या: 13

क- विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि निरालानगर योजना में प्रस्तावित सिनेमा भूखण्ड पर सिनेमाघर के बजाए कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराया जाये । इस सम्बन्ध में विधिक जाँच करा ली जाये ।

ख- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने नज़ीराबाद रोड को नाज़ सिनेमा तक चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव रक्खा । विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग के दोनों तरफ़ स्थित क्षेत्र को विकसित करने के लिये योजना प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रक्खी जाये ।

ग- शिवाजी मार्ग के दोनों ओर खुलनेवाले भवनों के अग्रभाग में केवल 25 फिट अन्दर तक ही व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

ह० शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
(शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

ह० पी०सी०सक्सेना
(प्रकाश चन्द्र सक्सेना)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

एम/आर xxx